न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 39/21 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS NO. :- 2021/700

अनवान

श्री मिठालाल पिता श्री बालुलाल जी जैन कण्ठालिया, निवासी भीण्डर, तह. भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

...........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री भवंरलाल पिता श्री श्रीलाल जी ब्राह्म्ण निवासी, केदारीया तहसील भीण्डर जिला उदयुपर (राज0)।
2. श्री किशनलाल पिता श्री श्रीलाल जी ब्राहम्ण, निवासी केदारिया, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
3. श्रीमती गुलाबी बाई पत्नी श्रीलाल जी ब्राहम्ण, निवासी केदारिया, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
4. श्री भेरा पिता उंकार जी मेघवाल, निवासी केदारिया, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
5. श्रीमती मोतीबाई पत्नी उदयलाल जी गाडरी , निवासी चारगदिया, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज0)।
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदपर कानोड जिला उदयपुर राज0।

..........विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 20.09.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बींता पटवार हल्का बींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 में आराजी नम्बर 39/1, 40/1, 41 किता 3 रकबा 4 बीघा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से अंकित है। वर्णित भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी होकर मौके पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहें है। वर्णित भूमि के पडौस में विपक्षीगणों की भूमि हैं और विपक्षीगण प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते है जिससे प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:16 IST
Reason: SelfAttested

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 से 5 सम्मन बाद तामिल प्राप्त अनुपस्थित है। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 6 की तरफ से जवाब पेश नहीं करना चाहा। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा हींता पटवार हल्का हींता तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 में आराजी नम्बर 39/1, 40/1, 42/1 किता 3 रकबा 4 बीघा हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू–प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू–प्रवंधन के ब[illegible] खसरा नम्बरान के आधार पर पत्थरगढ़ी कराई जाकर पाल[illegible] करें। [illegible] हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल[illegible] से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर